राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 28.12.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2015 को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों से क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में संबंधित जिले के कार्यकारी एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त करने हेतु पत्र जारी करावें।

(एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट के लिए प्रपत्र अ,ब,स,द पूर्ण कर पंचायतीराज विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश दिए गये थे अभी, 8 जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई। शेष जिलों से प्राप्त सूचना को पंचायतीराज विभाग को भिजवाया जाए।

- आवास योजना में अब तक 99596 रजिस्ट्रेशन के विरूद्ध 76000 की स्वीकृति जारी कर 56614 परिवारों को प्रथम किश्त रिलीज की गयी। मस्टररोल जारी करने के संबंध में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के साथ अलग से बैठक बुलायी जाए।
- समस्त जिलों से आधिक्य राशि को प्राप्त कर मुख्यालय के बैंक खाते में डाले जाने हेतु कार्यवाही करें।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा आवंटित वर्गवार लक्ष्यों की प्रगति के संबंधे में मुख्य मंत्री कार्यालय को अवगत करायाजाए साथ ही अगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आवास योजना के लक्ष्यों की वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री महोदया की ओर से भारत सरकार को लिखा जाए।
- अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 7500 के विरूद्ध 1061 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 8 जिलों की लॉटरी शेष है। अब तक जारी की गयी स्वीकृति की प्रगति से अवगत करायें तथा जिलों को 3000 तक की सीमा तक स्वीकृतियॉ जारी कर राशि का हस्तान्तरण कराने के निर्देश दिये गये।
- ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 की समस्याओं के संबंध में पुनः दि0 2.1.2016 को प्रातः 11.00 बजे समिति कक्ष में बैठक रखी जाए।
- बीएसआर पर सामग्री क्रय करने का परिपत्र वित्त विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- जिला बाडमेर को शासन सचिव महोदय की ओर से आवास प्रगति की समीक्षा हेतु पत्र जारी करावें।

- आवास की फोटो को लाभार्थी /आवास सहायक द्वारा ई–मित्र से अनिवार्य रूप से अपलोड करने हेतु जिलों को आदेश जारी करावें।
- करौली जिले की विजिट रिपोर्ट के संबंध में आवास योजना के लाभार्थी को पत्र जारी कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

(एसई,आईएवाई)

3. 902 ग्राम पंचायतों में सामग्री टेण्डर नहीं हुए है। जिला उदयपुर, अलवर, बांसवाडा एवं जयपुर में सबसे ज्यादा सामग्री के टेण्डर पैन्डिंग है। इस हेतु संबंधित सीईओ को शासन सचिव से की ओर से पत्र जारी करावें। आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर दर अनुसूची बने एवं सामग्री की निविदा निर्धारित हों की नियमित समीक्षा की जावे।

(एसई अभि0 / वित्तीय सलाहकार)

4. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 186 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें। एमएलए लैड/एमपी लैड में कार्यो की अनुशंषा आईडब्ल्यूएमएस में फीड करने हेतु मा0 सांसद/विधायकगणों को लॉगिंन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करावें। इस हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से पत्र जारी करावें। राज्य को 50 करोड रूपये एसएजीवाई/एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिलों को आवंटित राशि के दुगने तक स्वीकृतियॉ जारी करने के निर्देश जारी करावें।

(पीडी,एसएपी)

5. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत एवं सांसद आदर्श ग्राम पंचायत की कार्यशाला जोधपुर में दिनांक 5.01.2016, कोटा में 08.01.2016 एवं उदयपुर में 12.01.2016 को रखी जाए। कार्यशाला में भाग लेने वाले जिलों की सूचना से अवगत करायें।
6. बीएडीपी योजना में 40 करोड़ राशि का विशेष प्रोजेक्ट भारत सरकार स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना है। उक्त योजना में श्री योजना के चयनित गांवों के प्रस्तावों को भी शामिल कर स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही की जाये।

(पीडीएसएपी/प्रभारी श्री योजना)

7. ग्रामीण विकास की योजनाओं में कन्टीनजेन्सी को स्पष्ट करने हेतु बैठक हो गयी है। बैठक में हुई चर्चानुसार पत्रावली प्रस्तुत करें।

(सं0शा0सचिव,प्रशा.)

8. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी के साथ बैठक आयोजित की जाए तथा नक्शा व टेण्डर के लिए ईओआई जारी किया जाए। नये निर्देशों से जिलो को अवगत कराया जाए।

(पीडी एसएपी)

9. बीएडीपी के संबंध में जिलों से विडियों कॉन्फ्रेन्स की जावे जिसमें यूसी/सीसी एवं प्रगति की समीक्षा की जावे।

(पीडी एसएपी)

10. विधान सभा के 12 प्रश्न लम्बित है। मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग के –7 व एसएपी अनुभाग के –3 एवं आवास के –2 लम्बित प्रश्नों का निस्तारण कराये।

(योजना प्रभारी)

11. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर समीक्षा की जाएगी। इस हेतु प्रत्येक माह परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद की बैठक मुख्यालय पर आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

12. मुख्यमंत्री जल सरंक्षण अभियान के लिए ग्रामीण विकास की किन किन योजनाओं से राशि दी जा सकती है सूचना प्रेषित की जावे।

(योजना प्रभारी)

13. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें। जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे। गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) हेतु निजी प्रयोगशालाओं की रेट लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अवगत कराया जावे।

(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना)

14. 15–15 आईसी कॉर्डिनेटर लगाये गये है इनका उपयोग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने हेतु एक बैठक रखी जाए।

(एसई, आईएवाई)

15. सामाजिक अंकेक्षण हेतु अलग से एक प्रतिशत खर्चे का प्रावधान हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के साथ बैठक रखी जाए तथा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण की ओर से जिला परिषदों को पत्र जारी करावें।

(एसई,आईएवाई)

16. विभिन्न योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करायी जाए।

(एसई, आईएवाई)

17. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कॉल सेंटर का उपयोग विभाग की विभिन्न योजनाओं में किया जाए।

(सं0शा0सचिव,प्रशा.)

18. आई डब्ल्यू एम एस के माध्यम से योजनाओं का रिव्यू किया जाए तथा आगामी बैठकों में सीईओ द्वारा आईडब्ल्यूएमएस के माध्यम से ही प्रजेन्टेशन दिया जाएगा।

(प्रोग्रामर)

19. क्षेत्रीय योजनाओं में 2013–14 एवं 2014–15 की स्वीकृतियों के व्यय पर अधिक ध्यान दिया जाए।

(योजना प्रभारी)

20. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ जिला बारां एवं बांसवाडा के लिए विशेष सहायता के लिए इस सप्ताह बैठक आयोजित की जाए।

(योजना प्रभारी)

21. बांसवाडा,डूँगरपुर एवं उदयपुर जिले में आवास /एमएलएलैड की समीक्षा हेतु मुख्यालय से पीडी एवं पीओ को भेजा जावे।

(पीडी,मोएवंमू)

22. एसएजीवाई/एमएजीपीवाई को महात्मा गांधी नरेगा साफ्टवेयर में शामिल करने हेतु भारत सरकार को पत्र भिजवाया जाए।

(पीडी एसएपी)

23. एनआईसी को समिति कक्ष में वीसी को सैटअप तैयार करने हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाये। इस हेतु होने वाला व्यय आवास योजना से किया जायेगा।

.(एसई,आवास)

24. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) जिला परिषद की बैठक 10 से 15 जनवरी 2016 के मध्य आयोजित की जाये। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

(एसई,आवास)

25. पंचायतीराज से तीन योजनाओं को आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में डालने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।

(पीडी,मोएवंमू)

26. एसई, आवास के पद को परियोजना निदेशक में परिवर्तित करने हेतु तथा परियोजना निदेशक के पद को एक ग्रेड–पे कम किया जाए।

(सं0शा0सचिव,प्रशा.)

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)